N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT P.S. (थाना): C.P.S Jaipur Year (वर्ष): 2025

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0103 Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 27/04/2025 15:12 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7A
3	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61(2)

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):
   1. Day(दिन): दरमियानी दिन Date From (दिनांक से): 22/04/2025 Date To (दिनांक तक): 24/04/2025
   Time Period (समय अवधि): पहर Time From (समय से): 10:30 बजे Time To (समय तक): 13:34 बजे
   (b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 27/04/2025 Time (समय): 12:00 बजे
   (c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 003 Date & Time (दिनांक एवं समय) 27/04/2025 15:12:04 बजे
4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित
5. Place of Occurrence (घटनास्थल):
   1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): SOUTH, 540 किमी Beat No. (बीट सं.) : NOT APPLICABLE
   (b)Address(पता): PARIVADIYA KA RAHVASIYA GHAR, INDIRA COLONY JILA BASWARA
   (c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)
   Name of P.S (थाना का नाम):
   District(State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** SUSHRI JINAT KHAN

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** SALIM AHMAD

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1986 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	INDRA COLONY, BANSWARA, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	INDRA COLONY, BANSWARA, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	DILIP SINGH		पिता:CHHTTAR SINGH	1. KHARADEE,AANANDPUR KALU,ब्यावर,RAJASTHAN,INDIA
2	SHAREEF KHAN		पिता:BAHADUR KHAN	1. INDIRA COLONY,KEVALPURA,BANSWARA,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		2,50,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 2,50,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामें, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय् भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बांसवाडा। विषयः- कानूनी कार्यवाही कराने बाबत्। महोदय् उपरोक्त विषय में सादर निवेदन है कि मैं प्रार्थीया जिनत खान पिता श्री सलीम अहमद उम्र 39 साल जाति मुस्लिम निवासी इन्दिरा कालोनी बांसवाडा की रहने वाली हु। दिनांक 18.03.2025 को मुख्य न्यायीक मजिस्टेट कोर्ट बांसवाडा द्वारा मेरे व मेरे परिवार की धारा 107 (2) बीएनएसएस 2023 में सम्पत्ति कुर्की का नोटिस जारी हुआ था जिस सम्बन्ध में पुलिस थाना राजतालाब द्वारा मुझे दिनंाक 20.03.2025 को सूचित कराया गया था, जिसका जवाब हमने हमारे वकील के मार्फत कोर्ट में पेष कर दिया था इसके बाद दिनांक 18.04.2025 को पुलिस थाना राजतालाब जिला बांसवाडा से श्री देवीलाल एएसआई साहब मय पुलिस जाप्ता के मेरे व मेरे परिवार के निवास इन्दिरा कालोनी बांसवाडा आए और 1. फोर्ड ईकोस्पोर्ट कार नं आरजे 03 सीडी 2727, 2. बजाज पल्सर मोटरसाईकल नं आरजे 03 एसआर 4348, 3. टिवीएस अपाचे मोटरसाईक नं आरजे 03 एबी 5342, 4. हिरो होण्डा स्पलेण्डर नं आरजे 03 वीएस 9501, 5. टिवीएस जुपीटर नं आरजे 03 बीएस 5508, 6. टिवीएस वीगो स्कुटी नं आरजे 03 एसएल 3531 है को अपने साथ थाने लेकर गए थे । इसके बाद मेरी बहन अंजुम ने हमारे पडौसी वकील शरीफ से सम्पर्क किया क्योंकी वो सीआई साहब का अच्छा जानकार था तो वह अंजुम की गाडी छुडवा लाया और थाने में अंजुम से 1,000/- थाने के कर्मचारी को देने के लिए शरीफ ने 1,000/- रूपये लिए थे जिसके बाद शरीफ वकील ने मुझसे सम्पर्क कर कहां की तुम्हारी भी गाडीयां छुडवा दुगा मेरे साहब से अच्छी पहचान है क्योकी साहब दिलीपदान जी सीआई साहब के साले है और जब दिलीपदान जी सीआई साहब की बांसवाडा पोस्टिंग थी तो मै ही उनके लेन-देन का काम करवाता था इसलिए मै तेरा ये काम करवा दुंगा तो मैने शरीफ से कहां की मेरी तो सभी गाडीयों के कागज है मेरे पास तो शरीफ ने कहां की वहां तो पैसे दोगे तो ही काम होगा बीना पैसों के वो तुम्हारी कोई गाडी नही छोडेगंे और उल्टा तुम्हे फंसा देंगे जिस पर शरीफ वकील ने सीआई साहब दिलीप सिंह से बात की जिसमें सीआई साहब द्वारा हमारी गाडीयां व प्रोपर्टी को छोडने के लिये व बाकी बचे हमारे परिवार के लोगो को गिरफ्तार नही करने व भविष्य में परेशान नही करने के एवज में 6 लाख 50 हजार रूपये की मंाग शरीफ वकील के माध्यम से की गई। सीआई साहब दिलीप सिंह मुझसे रिष्वत सम्बन्धि कोई बात नही करेंगे वो सिर्फ उसके विष्वास पात्र शरीफ वकील के मार्फत ही रिष्वत मांग रहे है मै रिष्वत राषि के 6 लाख 50 हजार रूपये सीआई साहब नही देना चाहती हु उन्हे रिष्वत लेते हुवे पकडवाना चाहती हु। मेरी सीआई साहब व शरीफ वकील से कोई उधारी लेन-देन नही है और ना ही कोई आपसी रंजीष नही है। कार्यवाही करावें।" दिनांकः-22.04.2025 सही/- जिनत खान पिता श्री सलीम अहमद निवासी इन्दिरा काॅलोनी बांसवाडा मो0 [redacted] कार्यवाही पुलिस ब्यूरो इकाई बांसवाडा दिनांक 22.04.2025 समय10.30 एएम पर प्रार्थीया सुश्री जिनत पिता श्री सलीम अहमद निवासी इन्दिरा काॅलोनी बांसवाडा उपस्थित होकर एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र स्वयं के हस्ताक्षरयुक्त मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को परिवादीया को पढकर सुनाया गया तो परिवादीया सुश्री जिनत ने शब्द-ब-षब्द सही होना व प्रार्थना पत्र पर स्वयं के हस्ताक्षर होना स्वीकार किया । माजिद पूछताछ पर परिवादीया ने बताया कि " मैं प्रार्थीया जिनत खान पिता श्री सलीम अहमद उम्र 39 साल जाति मुस्लिम निवासी इन्दिरा काॅलोनी बांसवाडा की रहने वाली हु। दिनांक 18.03.2025 को मुख्य न्यायीक मजिस्टेट कोर्ट बांसवाडा द्वारा मेरे व मेरे परिवार की धारा 107 (2) बीएनएसएस 2023 में सम्पत्ति कुर्की का नोटिस जारी हुआ था जिस सम्बन्ध में पुलिस थाना राजतालाब द्वारा मुझे दिनंाक 20.03.2025 को सूचित कराया गया था, जिसका जवाब हमने हमारे वकील के मार्फत कोर्ट में पेष कर दिया था इसके बाद दिनांक 18.04.2025 को पुलिस थाना राजतालाब जिला बांसवाडा से श्री देवीलाल एएसआई साहब मय पुलिस जाप्ता के मेरे व मेरे परिवार के निवास इन्दिरा काॅलोनी बांसवाडा आए और 1. फोर्ड ईकोस्पोर्ट कार नं आरजे 03 सीडी 2727, 2़. बजाज पल्सर मोटरसाईकल नं आरजे 03 एसआर 4348, 3. टिवीएस अपाचे मोटरसाईक नं आरजे 03 एबी 5342, 4. हिरो होण्डा स्पलेण्डर नं आरजे 03 वीएस 9501, 5. टिवीएस जुपीटर नं आरजे 03 बीएस 5508, 6. टिवीएस वीगो स्कुटी नं आरजे 03 एसएल 3531 है को अपने साथ थाने लेकर गए थे । इसके बाद मेरी बहन अंजुम ने हमारे पडौसी वकील शरीफ से सम्पर्क किया क्योंकी वो सीआई साहब का अच्छा जानकार था तो वह अंजुम की गाडी छुडवा लाया और थाने में अंजुम मे 1,000/- थाने के कर्मचारी को देने के लिए शरीफ ने 1,000/- रूपये लिए थे जिसके बाद शरीफ वकील ने मुझसे सम्पर्क कर कहां की तुम्हारी भी गाडीयां छुडवा दुगा मेरे साहब से अच्छी

पहचान है क्योकी साहब दिलीपदान जी सीआई साहब के साले है और जब दिलीपदान जी सीआई साहब की बांसवाडा पोस्टिंग थी तो मै ही उनके लेन-देन का काम करवाता था इसलिए मै तेरा ये काम करवा दुंगा तो मैने शरीफ से कहां की मेरी तो सभी गाडीयों के कागज है मेरे पास तो शरीफ ने कहां की वहां तो पैसे दोगे तो ही काम होगा बीना पैसों के वो तुम्हारी कोई गाडी नही छोडेगें और उल्टा तुम्हे फंसा देंगे जिस पर शरीफ वकील ने सीआई साहब दिलीप सिंह से बात की जिसमें सीआई साहब द्वारा हमारी गाडीयां व प्रोपर्टी को छोडने के लिये व बाकी बचे हमारे परिवार के लोगो को गिरफ्तार नही करने व भविष्य में परेषान नही करने के एवज में 6 लाख 50 हजार रूपये की मांग शरीफ वकील के माध्यम से की गई। सीआई साहब दिलीप सिंह मुझसे रिष्वत सम्बन्धि कोई बात नही करेंगे वो सिर्फ उसके विष्वास पात्र शरीफ वकील के मार्फत ही रिष्वत मांग रहे है मै रिष्वत राषि के 6 लाख 50 हजार रूपये सीआई साहब नही देना चाहती हु उन्हे रिष्वत लेते हुवे पकडवाना चाहती हु। मेरी सीआई साहब व शरीफ वकील से कोई उधारी लेन-देन नही है और ना ही कोई आपसी रंजीष नही है। कार्यवाही करावें। " दरियाप्त पर परिवादीया से शरीफ वकील के बारे में पुछा तो परिवादीया ने बताया की अभी थोडी देर पहले मेरी इससे मोबाईल से बात हुई थी और वो मेरे घर घंटे भर में आकर मिलने को कह रहा था। जिस पर मैने शरिफ वकील को कहा की वा तु मुझे फोन करना मुझे जेल पर भी जाना है।जिस पर मामला रिष्वत राषि मांग का पाया जाने पर नियमानुसार रिष्वत मांग सत्यापन कराया जाना आवष्यक होने से परिवादी को ब्यूरो की टेप कार्यवाही की प्रक्रिया को भलीभांती समझाया गया। तत्पष्चात परिवादीया ने बताया की हमारे परिवार के विरूद्ध पुलिस कार्यवाही हुई थी तो मुझे भय है की पुलिस मेरी लोकेषन टेप्स करवाती है इसलिए मै अपना मोबाईल अपने पास नही रखती हुं। मै, जब भी आप आने को कहांगे में कार्यालय में उपस्थित आ जाउंगी।जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यालय में उपस्थित श्री पंकज कुमार कानि 551 को कार्यालय की अलमारी से डिजीटल टेप रिकोर्डर मय रिक्त मेमोरी कार्ड को लेकर कार्यालय कक्ष में बुलाया तथा श्री पंकज कुमार कानि 551 का परिचय परिवादीयासुश्री जिनत से करवाया जाकर एक दुसरे के मोबाईल नम्बर आपस में आदान-प्रदान किये गये। परिवादीया को ब्यूरो की डिजीटल टेप रिकोर्डर के संचालन की विधी भलीभांती समझाई जाकर सुरक्षित कार्यालय में बैठाया गया। दिनांक 22.04.2025 समय 12.00 पीएम पर परिवादीया सुश्री जिनत को संदिग्ध वकील शरिफ द्वारा रिष्वत मांग हेतु घण्टे भर में परिवादीया के घर मिलने के लिएकहां है अतः कार्यालय में उपस्थित श्री पंकज कुमार कानि को ब्यूरो का डिजीटल टेप रिकार्डर मय रिक्त मेमोरी कार्ड लेकर कानि को उसके निजी मोटरसाईकल एवं परिवादीया को उसकी निजी वाहन से उसके निवास इन्दिरा कालोनी बांसवाडा के लिए मुनासिब हिदायत कर रवाना किया गया। दिनांक 22.04.2025 समय 03.10 पीएम पर श्री पंकज कुमार कानि ब्यूरो इकाई बांसवाडा पर उपस्थित आया और ब्यूरो का डिजीटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड लगा हुआ बन्द हालत में मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपूर्द किया जिसे सुरक्षित रखा गया। तत्पष्चात कानि ने बताया की आपके निर्देषानुसार मै व परिवादीया सुश्री जिनत इन्दिरा कालोनी बांसवाडा पहूंच सुरक्षित स्थान पर अपनी उपस्थिती छुपाकरमुकीम हुए, जहां परिवादीया द्वारा अपने भाणेज से अपना मोबाईल मंगवाकर संदिग्ध वकील शरीफ को फोन करवाया तो संदिग्ध द्वारा आधे घण्टे में आने को कहां गया। जिस पर समय करीब 12.57 पीएम पर मन् कानि द्वारा परिवादीया को ब्यूरो का डिजीटल टेप रिकार्डर मय रिक्त मेमोरी कार्ड लगा हुआचालु हालत में सुपूर्द कर रिष्वत मांग सत्यापन हेतु परिवादीया को उसके घर की तरफ रवाना किया व मन् कानि अपनी उपस्थिती छुपाते हुए परिवादीया के आने के इन्तजार में मुकीम रहा। करीब पैतालीस मिनट बाद परिवादीया मन् कानि के पास आई व ब्यूरो का डिजीटल टेप रिकार्डर मेमोरी कार्ड लगा हुआ चालु हालत में सुपूर्द किया जिसे बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा। तत्पष्चात परिवादीया ने बताया की मै मेरे घर डिजीटल टेप रिकार्डर लेकर पहूंची जहां कुछ देर बाद शरीफ वकील मेरे घर आया और मुझे सीआई साहब द्वारा मेरी गाडीया छोडने तथा परेषान नही करने का कहते हुए प्रोपर्टी सीज नही करने के पांच लाख और गिरफ्तार नही करने के पचास हजार और एक लाख रूपये गाडीया छोडने केलिए मांग की गई तो मैने उसे तीन लाख तक करने के लिए कहां, तो शरीफ वकील ने मोबाईल को लाउडस्पीकर पर रख सीआई साहब को व्हाट्सएप काल कर बात की तो सीआई साहब ने इसे थाने पर आने के लिए कहा इसके बाद शरीफ वकील ने कहां की मै अभी थाने पे जा रहा हूऔर सीआई साहब से बात करके तुझे फोन करूंगा। जिस पर मन् कानि द्वारा डिजीटल टेप रिकार्डर को चालु कर वार्ता के मुख्य अंष चलाकर सुने गए तो परिवादीया द्वारा बताए तथ्यों की ताईद हुई। संदिग्ध शरीफ वकील थाने पर जाकर सीआई साहब से बात करके परिवादीया को फोन करेगा इसलिए मै व परिवादीया शरीफ वकील के फोन आने के इन्तजार में रहे। तकरीबन आधे घन्टे बादपरिवादीया के मोबाईल पर शरीफ वकील का कालॅ आया और उसने प्लाट का, गाडीयों का, जावेद का, जावेद केनाबालिग बच्चेके, दो गाडीयां रखने और एक्सचेंज नही करने और परेषान नही करने इत्यादी को मिलाकर कुल साढे तीन लाख रूपये की सीआई द्वारा मांग करनेकी बात कहीतथा शरीफ वकील द्वारारिष्वत राषि परिवादीया के साथ चलकर सीआई को देने की बात कही गई।उक्त वार्ता को परिवादीया के मोबाईल को लाउडस्पीकर पर रखकर ब्यूरो के डिजीटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी लगा हुआ में रिकार्ड किया गया। इसके बाद मैने परिवादीया को ब्यूरो चैकी पर चलने हेतु एवं रिष्वत राषि की व्यवस्था के सम्बन्ध में कहां तो परिवादीया ने उसकी माता की तबीयत खराब होने और घर पर कोई नही होने से असमर्थता व्यक्त की और अभी साढे तीन लाख रूपये की व्यवस्था नही होना बताया तथा कल साढे तीन लाख रूपयो की व्यवस्था करके ब्यूरो चैकी पर आने का कहां

है।जिस पर ब्यूरो का डिजीटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड लगा हुआ सुरक्षित कार्यालय अलमारी मंे रखवाया गया। दिनांक 22.04.2025 समय 04.30 पीएम पर आरोपीगण श्री दिलीप सिंह पुलिस निरीक्षक व श्री शरीफ वकील द्वारा कल दिनांक 23.04.2025 को रिष्वत राषि लेन-देन की संभावना होने सेअग्रिम कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाह की आवश्यकता है अतः अधीशाषी अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग पुरानी टंकी के पास जिला बांसवाडा के नाम कार्यालय के पत्रांक एसपीएल-1 दिनंाक 22.04.2025 प्रातः 09.00 एएम पर कार्यालय उपस्थित आने हेतु तहरिर जारी कर श्री जितेन्द्र सिंह चालक कानि को आवश्यक हिदायत कर रवाना किया एवं अतिरिक्त ब्यूरो जाप्ता की आवष्यकता होने से श्री रतन सिंह, पुलिस उप अधीक्षक भ्रनिब्यूरो डूंगरपुर को जरिये दूरभाष जाप्ता उपलब्ध कराने हेतु निर्देषित किया। दिनांक 23.04.2025 समय 09.00 एएम पर पाबन्दशुदा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग बांसवाडा से दो स्वतन्त्र गवाह उपस्थित आये जिनको मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना परिचय देते हुए उनका परिचय पुछा तो उन्होने अपना नाम श्री माहिल चंचावत पिता श्री पवन चंचावत जाति नेमा महाजन उम्र 33 वर्ष निवासी 6/226 रातीतलाई जिला बंासवाडा हाल सहायक अभियंता पीएचईडी परियोजना खण्ड। बांसवाडा एवं श्री नरेश कुमार मीना पिता श्री फूल सिंह मीना उम्र 27 वर्ष निवासी सिकराय दौसा हाल सहायक अभियंता पीएचईडी परियोजना वृत बांसवाडा होना बताया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दोेनो गवाहान से प्रस्तावित ट्रेप कार्यवाही मे बतौर स्वतन्त्र गवाहान उपस्थित रहने बाबत् सहमति चाही गई जिस पर दोनो गवाहान ने अपनी-अपनी मौखिक सहमति व्यक्त की। दोनों गवाहों को कार्यालय कक्ष में सुरक्षित बिठाया गया। दिनांक 23.04.2025 समय 10.00 एएम पर पाबन्दषुदा श्री राजेन्द्र िसह पुलिस निरीक्षक, मय ब्यूरो जाप्ता श्री वीर विक्रम सिंह कानि, श्री बाबुलाल कानि, श्री महेषचन्द्र कानि के अपने निजी वाहन से ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आए। जिन्हे आवष्यक हिदायत कर कार्यालय कक्ष में बैठाया। दिनांक 23.04.2025 समय 10.30 एएम पर कार्यालय कक्ष में श्री पंकज कुमार कानि को तलब किया गया की परिवादीया से सम्पर्क करे। जिस पर कुछ समय पश्चात कानि पंकज कुमार मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कक्ष में उपस्थित हो अवगत कराया की परिवादीया से सम्पर्क नही हुआ है और ना ही उसका फोन लग रहा है। जिस पर परिवादीया के फोन आने या ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित होने के इन्तजार में रहें। दिनांक 23.04.2025 समय 01.30 पीएम पर परिवादीया सुश्री जिनत ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आई व मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया कि अभी मेरे पास एक लाख रूपये की ही व्यवस्था हो पाई है बाकी कि व्यवस्था शाम तक हो जाएगी। जिस पर दिनांक 22.04.2025 को हुई रिष्वत मंाग सत्यापन वार्ता के सम्बन्ध में परिवादीया से पूछताछ की गई तो परिवादीया ने बताया की मुझे कानि पंकज कुमार द्वारा ब्यूरो का डिजीटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड लगा हुआ चालु हालत में सुपूर्द किया जिस पर मै मेरे घर डिजीटल टेप रिकार्डर लेकर पहूंची जहंा कुछ देर बाद शरीफ वकील मेरे घर आया और मुझे सीआई साहब द्वारा मेरी गाडीया छोडने तथा परेषान नही करने का कहते हुए प्रोपर्टी सीज नही करने के पांच लाख और गिरफ्तार नही करने के पचास हजार और एक लाख रूपये गाडीया छोडने के लिए मांग की गई तो मैने उसे तीन लाख तक करने के लिए कहां, तो शरीफ वकील ने अपने मोबाईल को लाउडस्पीकर पर रख सीआई साहब को व्हाट्सएप काल कर बात की तो सीआई साहब ने शरीफ वकील को थाने आने के लिए कहा इसके बाद शरीफ वकील ने कहां की मै अभी थाने पे जा रहा हू और सीआई साहब से बात करके तुझे फोन करूंगा। जिसके बाद शरीफ वकील मेरे घर से चला गया और मैने ब्यूरो का डिजीटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड लगा हुआ चालु हालत में श्री पंकज कुमार को दिया उन्होने रिकार्डर को बन्द कर अपने पास रखा। कुछ समय बाद मेरे मोबाईल नं [redacted] पर शरीफ वकील के मोबाईल नं [redacted] का फोन आया और उसने प्लाट का, गाडीयों का, जावेद का, जावेद के नाबालिग बच्चे के, दो गाडीयां रखने और एक्सचेंज नही करने और परेषान नही करने का कहकर कुल मिलाकर साढे तीन लाख रूपये की सीआई द्वारा मांग करने की बात कही तथा शरीफ वकील द्वारा रिष्वत राषि मेरे साथ चलकर सीआई को देने की बात कही गई उक्त वार्ता मैने मोबाईल को लाउडस्पीकर पर रखकर की थी। जिसे भी ब्यूरो के डिजीटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड लगा हुआ में रिकार्ड किया गया है। तत्पष्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादीया को कार्यालय में पूर्व से पाबन्दषुदा दोनो स्वतंत्र गवाहान को तलब कर आपस में परिचय करवाया जाकर परिवादीया सुश्री जिनत की रिपोर्ट दिनांक 22.04.2025 को दोनो गवाहान के समक्ष पढ़कर सुनाई गई तो परिवादीया ने शब्द-ब-शब्द सही होना मान रिपोर्ट पर स्वयं के हस्ताक्षर अंकित होना जाहिर किया। उक्त रिपोर्ट पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के भी हस्ताक्षर करवाये गये। दिनांक 23.04.2025 समय 02.10 पीएम पर कार्यालय की अलमारी से ब्यूरो का डिजीटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड लगा हुआ मंगवाया गया जिसमें दिनंक 22.04.2025 को समय 12.57 पीएम पर हुई रिष्वत मांग सत्यापन प्रथम वार्ता जो की परिवादीया व आरोपी शरीफ के मध्य आमने सामने एवं इसी दौरानमौके पर आरोपी शरीफ की वार्ता आरोपी दिलीप सिंह से जरिये व्हाट्सएप काल हुई रिष्वत मांग सत्यापन वार्ता जो ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड हुई तथा समय 02.37 पीएम पर परिवादीया एवं आरोपी शरीफ के मध्य जरिये मोबाईल हुई रिकार्ड शुदा रिष्वत मंाग सत्यापन द्वितीय वार्ता जिसे परिवादीया एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष चलाकर सुनाया गया तथा उक्त डिजिटल टेप रिकार्डर को ब्यूरो के कम्प्युटर से कनेक्ट करा श्री बन्सीलाल कानि0 से पृथक-पृथक फर्द ट्रांसक्रिप्टे तैयार करवाई जाकर स्वंतत्र गवाह एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त वार्ता के मूल मेमोरी कार्ड से पेनड्राईव पृथक से तैयार किया जायेगा। दिनांक 23.04.2025 समय 03.50 पीएम पर परिवादीया ने मन् अतिरिक्त पुलिस

अधीक्षक व स्वतंत्र गवाहान के समक्ष बताया की शरीफ ने मुझे सीआई साहब के पास लेकर जाने को कहा है और आज पूरी राषि की व्यवस्था भी नही हुई। मै आज सीआई साहब से मिलकर बात करके आती हुं। जिस पर परिवादीया को पुनः रिष्वत राषि मांग सत्यापन हेतु भेजा जाना है। अतः डिजीटल टेप रिकार्डर में लगा मेमोरी कार्ड जिसमें दिनंाक 22.04.2025 की वार्ता रिकार्ड हुई है को सुरक्षा की दृष्टि से मूल ही निकलवाया जाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कार्यालय कक्ष की अलमारी में सुरक्षित रखा गया। तत्पष्चात ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकार्डर में नया रिक्त मेमोरी कार्ड लगवाया गया तथा आरोपी शरीफ की लोकेषन जानने हेतु समय 04.01 पीएम पर परिवादीया के मोबाईल नं [redacted] से आरोपी श्री शरीफ के मोबाईल नं [redacted] पर काॅल करवाया जाकर वार्ता कराई गई तो परिवादीया ने रिष्वत राषि की पूरी व्यवस्था नही होना शरीफ को कहा तो शरीफ ने सीआई साहब से मिलवाने के लिए हामी भरी और कहां की डेढ दे देना। उक्तवार्ताकोपरिवादीया के मोबाईल कोलाउड स्पीकरपर रखवाकर ब्यूरो के डिजीटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड लगा हुआ में रिकार्ड किया गया। जिसके बाद परिवादीया ने बताया की मेरे पास तो डेढ की व्यवस्था है नही में इसको फोन करके बहाना बता दुंगी तो मान जाएगा। जिस पर समय 04.09 पीएम पर परिवादीया के मोबाईल से आरोपी शरीफ के मोबाईल पर काॅल कराया परन्तु आरोपी ने काॅल रिसीव नही किया। तत्पष्चात समय करीब 04.12 पीएम पर परिवादीया के मोबाईल पर आरोपी शरीफ का काॅल आया तो परिवादीया ने कहा की अम्मी के रे है अभी एक ही दे और कल दे देगे ढाई जिस पर आरोपी शरीफ आधे करने के लिए कहां तो परिवादीया ने कहा तु अम्मी को तो जानता है जिस पर आरोपी शरीफ ने एक लेकर थाने जाने के लिए हामी भर दी और कुछ देर में साथ चलने को कहा गया।उक्त वार्ता को परिवादीया के मोबाईल को लाउडस्पीकर पर रख कर ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड लगा हुआ में रिकार्ड किया गया। तत्पष्चात परिवादीया ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया की शरीफ मुझे तुरन्त बुलाएगा थाने पर जाने के लिए तो मै मेरे घर ही चली जाती हु वहां से थाना नजदीक है और शरीफ का घर भी, जिस पर कानि श्री पंकज कुमार को कार्यालय कक्ष में तलब कर डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड लगा हुआ सुपूर्द कर परिवादीया के साथ रिष्वत मांग सत्यापन हेतु मुनासिब हिदायत कर अपने-अपने निजी वाहनो से इन्दिरा कालोनी बांसवाडा के लिए रवाना किया। दिनांक 23.04.2025 समय 07.00 पीएम पर कानि श्री पंकज कुमार ब्यूरो का डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड लगा हुआ लेकर कार्यालय उपस्थित आया और मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को उक्त रिकार्डर सुपूर्द कर बताया की आपके निर्देषानुसार मै व परिवादीया ब्यूरो इकाई से रवाना होकर इन्दिरा कालोनी बांसवाडा पहूंचे और आरोपी शरीफ के आने के इन्तजार में अपनी स्थिती छुपाते हुए मुकिम रहे। करीब पांच मिनट बाद शरीफ का परिवादीया के मोबाईल पर काॅल आया और उसने परिवादीया को पुलिस थाना जाने के लिए बुलाया और कहां की मेरे घर की तरफ आ जा साथ में ही चलेगें जिस पर मन् कानि द्वारा रिष्वत मांग सत्यापन हेतु परिवादीया को ब्यूरो का डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड लगा हुआ चालु हालत में मुनासिब हिदायत के सुपूर्द कर आरोपी के शरीफ के घर की और रवाना करते हुए मै भी उनके पीछे-पीछे अपनी स्थिती छुपाते हुए रवाना हुआ। करीबन घन्टे भर बाद परिवादीया मेरे पास आई और ब्यूरो का डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड लगा हुआ चालु हालत में सुपूर्द किया जिसे बन्द कर सुरक्षित रखा। तत्पष्चात परिवादीया ने बताया की मै व शरीफ पुलिस थाना राजतालाब गए और सीआई साहब से मिले तो सीआई साहब ने कहा कि तुम्हारी तीन गाडी छोड दुंगा, ये कोई बनिये की दुकान थोडी है जो मोल भाव होगा, वकील साहब ने जो कह दिया है उससे ना कम ना ज्यादा, जिसके बाद शरीफ वकील और सीआई साहब ने बात की और मेंरी अपाचे मोटरसाईकल, वीगो स्कुटी, हिरो मोटरसाईकल छोडने के लिए कहां जिसमें मे मुझे मेरी एक मोटरसाईकल और वीगो स्कुटी दे दी मेरी हिरो मोटरसाईकल श्रवण ने नही दी श्रवण मुझसे उसकी आरसी मांग रहा था तो मैने उसे बताया की ये गाडी मैने गिरवे ली है जिसके बाद भी वह नही माना और फिर मैने अपनी अपाचे मोटरसाईकल मेरे भाणेज के दोस्त के साथ और वीगो स्कुटी टेम्पो में डलवा के भिजवा दी।जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा ब्यूरो का डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड लगा हुआ को चालु कर वार्ता के मुख्य अंष सुने गए तो कानि द्वारा बताए गए तथ्यो की ताईद हुई। कानि ने बताया की रात्री का समय होने से मैने परिवादीया सुश्री जिनत को बकाया रिष्वत राषि ढाई लाख रूपये की व्यवस्था कर कल दिनांक 24.04.2025 को प्रातः कार्यालय उपस्थित आने की मुनासिब हिदायत के एवं कार्यवाही की गोपनीयता बरतने की समझाईष कर रवाना करते हुए मन् कानि ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आया।ब्यूरो के डिजीटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड लगा हुआ को सुरक्षित कार्यालय अलमारी मंे रखवाया गया तथा दोनो स्वतंत्र गवाहान को मुनासिब हिदायत एवं कार्यवाही की गोपनीयता बरतने की समझाईष कर दिनांक 24.04.2025 को प्रातः 09.00 एएम पर कार्यालय उपस्थित आने हेतु पाबन्द कर रवाना किया व ब्यूरो इकाई डूंगरपुर के जाप्ते को कार्यालय पर ही मुकिम रहने हेतु हिदायत दी गई। दिनंाक 24.04.2025 समय 09.00 एएम पर पूर्व पाबन्दशुदा दोनो स्वतन्त्र गवाह श्री साहिल चंचावत एवं श्री नरेश कुमार मीणा कार्यालय उपस्थित आए। दोनों गवाहों को कार्यालय कक्ष में सुरक्षित बिठाया गया। दिनंाक 24.04.2025 समय 09.30 एएम पर परिवादीया सुश्री जिनत ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आई और मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया की आरोपीगण को रिष्वत में दी जाने वाली बकाया राषि 2,50,000/- रूपये की व्यवस्था कर दी है और मै अपने साथ लेकर आई हूं। कार्यवाही करावें। दिनंाक 24.04.2025 समय 09.35 एएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दोनो गवाहान के समक्ष को आरोपीगण श्री शरीफ को दी जाने

वाली रिष्वती राषि पेष करने हेतु परिवादीया को कहां तो परिवादीया ने अपने पास से 500-500 रूपये के 500 नोट कुल 2,50,000/- रूपयें भारतीय चलन मुद्रा के पेष किये। परिवादीया सुश्री जिनत द्वारा पेश किये गये उक्त समस्त नोटो पर श्री दिनेश कुमार सउनि से कार्यालय कक्ष के मालखाने में रखी फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को मंगवाया जाकर श्री महेशचन्द्र कानि नं 394 को सम्भलवाई गई तथा कानि द्वारा कार्यालय की टेबल पर अखबार बिछाकर अखबार पर उपरोक्त समस्त भारतीय चलन मुद्रा के नोटो के दोनो ओर एवं कपडे की थैली बरंग स्लेटी पर भी फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया जाकर कानि से उपरोक्त नोटो को कपडे की थैली बरंग स्लेटी में रखवाकर उक्त थैली मय राशि को परिवादीया सुश्री जिनत के पर्स में रखवाने से पूर्व परिवादी के पर्स की जामातलाशी श्री साहिल चंचावत स्वतन्त्र गवाह से लिवाई जाने के पश्चात उक्त पर्स में कपडे की थैली मय नोटो को श्री महेशचन्द्र कानि से कोई शैः नहीं छोडते हुए रखवाये गये।तत्पश्चात् श्री पंकज कुमार कानि से एक प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास में कार्यालय से साफ पानी भरवाकर मंगवाया, इसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा जिसे गवाहान एवं परिवादी को दिखाया गया तो उन्होनें घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। इस रंगहीन घोल में श्री महेशचन्द्र की अंगुलियों व अंगुठे को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार परिवादीया तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर बताई गई एवं मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि यदि आरोपी परिवादीया से रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण करेगा तो नोटो पर लगा फिनोफ्थलीन पाउडर उसकी हाथों की अंगुलियों व अंगुठे पर लग जाएगा और जब उसके हाथों की अंगुलियों व अंगुठे को उपरोक्तानुसार धुलाई जाएगी तो घोल का रंग गुलाबी हो जाएगा। जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपी ने रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण की है। उक्त गुलाबी घोल को श्री महेशचन्द्र कानि से कार्यालय के बाहर नाली में फिकवाया गया तथा अखबार व प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास को जलाकर नष्ट किया गया। फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को श्री दिनेश कुमार सउनि को सुरक्षित मालखाने में रखने हेतु सम्भलाई गई तथा परिवादीया को यह भी हिदायत दी गई कि वह आरोपीगण के द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर ही उसे देवे तथा रिश्वती राशि देने से पूर्व या देने के बाद उसके शरीर के किसी अंग को नहीं छुए। यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन करें। परिवादीया को यह भी हिदायत दी गई कि रिश्वती राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रदर्शन न करे तथा रिश्वती राशि दे चुकने के बाद अपने सिर पर दो बार हाथ फैरकर या श्री पंकज कुमार कानि 551 के मोबाईल नम्बर पर का ॅल कर गोपनीय निर्धारित ईशारा करें। तत्पश्चात परिवादीया ने बताया की आरोपी शरीफ वकील बडा ही शातिर है इसिलये मै ईशारा नही कर पाउंगी, मेरे घर में कैमरे लगे हुए है मैरे घर पर हा ॅल में भी कैमरे लगे हुए है मेरे कैमरो की फुटेज मेरे मोबाईल में दिखेगी वो जैसे ही रिश्वत राशि लेगा तो आप मय टीम के आ जाना मै अपना मोबाईल मेरे घर के सामने की साईड मेरी बहन अंजुम का घर है वहां रखुंगी वो आप लोगो को ईशारा करके बता देगी। परिवादीया, श्री महेशचन्द्र कानि व स्वतंत्र गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये एवं श्री महेषचन्द्र कानि को ब्यूरो इकाई बांसवाडा पर ही मुकिम रहने की हिदायत दी गई। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मूर्तिब कर संबधितों के हस्ताक्षर कराये गये। दिनं ाक 24.04.2025 समय 12.30 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादीया सुश्री जिनत को स्वयं के निजी वाहन से एवं श्री पंकज कुमार कानि व श्री हरभजन सिंह कनिष्ठ सहायक को निजी मोटरसाईकल से परिवादीया के पीछे-पीछे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाह श्री साहिल चंचावत, श्री नरेष कुमार एवं श्री दिनेष कुमार सउनि, श्री बंसीलाल कानि मय टे ॅप बा ॅक्स व आवष्यक संसाधन सरकारी कम्पयुटर, प्रिंटर के जरिये प्राईवेट वाहन टैक्सी के ब्यूरो इकाई से रवाना हुए एवं श्री राजेन्द्र सिंह पुलिस निरीक्षक, श्री बाबुलाल कानि, श्री वीर विक्रम िसह, श्री जितेन्द्र सिंह चालक कानि को पुलिस निरीक्षक के निजी वाहन से पुलिस थाना राजतालाब के लिए रवाना किया। दिनांक 24.04.2025 समय 01.00 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय जाब्ता ब्यूरो कार्यालय से रवानाषुदा इन्दिरा कालोनी परिवादीया के घर आस पास पहुंच कर परिवादीया को श्री पंकज कुमार कानि द्वारा डिजिटल टेप रिकार्डर चालु कर सुपूर्द कर इन्दिरा का ॅलोनी परिवादीया के घर को रवाना करने से पूर्व परिवादीया से आरोपी शरीफ वकील के मोबाईल पर फोन करवाया गया तो शरीफ द्वारा कहां की मै आता हु तु घर जा के फोन करना उपरोक्त वार्ता परिवादीया के मोबाईल फोन को लाउडस्पिकर पर रखकर ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड लगा हुआ में रिका ॅर्ड किया गया। तत्पष्चात परिवादीया को समय करीब 01.15 पीएम पर ब्यूरो का डिजिटल टेपरिका ॅर्डरमेमोरी कार्ड लगा हुआ चालु कर सुपूर्द कर उसके घर की और रवाना किया गया तथा प्राईवेट वाहन को साईड में खडा करा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो स्टाफ के सदस्य परिवादी के पिछे पिछे गोपनीय रुप से अपनी उपस्थिती छिपाते हुए परिवादी के गोपनीय इशारे के इन्तजार में रहे। दिनं ाक 24.04.2025 समय 02.00 पीएम पर समय करीब01.34 पीएम पर परिवादीया की बहन श्रीमती अंजुम ने अपने घर से ईषारा कर आरोपी श्री शरीफ वकील द्वारा रिष्वत राषि लेने का पूर्व निर्धारित ईषारा करने पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, स्वतंत्र गवाहान मय ब्यूरो जाप्ता के परिवादीया के मकान के मुख्य गेट को खोल कर भीतर प्रवेष किया तो बरामदे के दाहिनी तरफ के गेट को खोल कर हा ॅल में प्रवेष किया तो सामने सौफे पर एक व्यक्ति टोपी पहने बैठा था जिसके पास के ही सौफे पर एक काले रंग का केरी बैग रखा था और हा ॅल में ही

परिवादीया हैगिंग झुले पर बैठी हुई थी। तत्पष्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादीया की तरफ देखते हुए पूछा की यही है वकील साहब है तो परिवादीया ने सिर हिला कर ईशारा किया। जिस परमन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपना व हमराहियान का परिचय देते हुए सामने सौफे पर बैठे उक्त व्यक्ति से उसका नाम पता पूछा तो पास ही बैठी परिवादीया जिनत ने शरीफ खान होना बताया। उसके बाद आरोपी शरीफ खान से अभी-अभी परिवादीया से राषि किस बात की ली है तो आरोपी शरीफ ने बताया की इनके पास वाले प्लाॅट के पैसे लिए ये बैग में पडे है जिस पर परिवादीया को पूछा तो परिवादीया ने बताया की ये राषि सीआई साहब के लिए ली है पुनः पूछा किस काम के लिए तो परिवादीया ने बताया की हमारे प्लाट वगैरा, 107 का मुकदमा किया है इन्होने झुठी कार्यवाही की है। जिसके बाद परिवादीया से ब्यूरो का डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड चालु हालत परिवादीया से प्राप्त करने हेतु श्री हरभजन सिंह कनिष्ठ सहायक को निर्देषीत किया। श्री हरभजन द्वारा परिवादीया से रिकाॅर्डर प्राप्त कर बन्द कर अपने पास सुरक्षित रख लिया। जिस पर आरोपी वकील को थानाधिकारी के मोबाईल पर काॅल करने हेतु कहां गया तो वकील ने इनकार कर दिया। तत्पष्चात गवाह श्री साहील चंचावत को आरोपी श्री शरीफ के पास सौफे पर पडे काले रंग का केरी बैग चैक करने हेतु कहां गया तो उक्त बैग के बीच वाली चैन को खोल कर दिखवाया गया तो उसके भीतर एक कपडे की थैली बरंग स्लैटी को चैक करवाया तो उसकें भीतर 500-500 रूपये भारतीय चलन मुद्रा के नोटो की गड्डियां मिली। उक्त नोटो को दोनो गवाहान से गिनवाया गया तो कुल 3,50,000/-रूपये बरामद हुए। जिस पर शरीफ वकील से पूछा गया की इसमें एक लाख रूपये अधीक है ये किसके है तो आरोपी शरीफ ने बताया की मुझे जिनत आपा ने कल दिए थे वो है। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देष पर स्वतंत्र गवाहान से उक्त बरामद राषि का मिलान पूर्व में मूर्तिब फर्द पेषकषी से करवाया गया तो गवाहान ने बताया की इसमें 2,50,000/- पूर्व में मूर्तिब फर्द के हूबहू है तथा शेष राषि 1,00,000/- है। जिस पर उक्त कपडे की थैली बरंग स्लेटी मय कुल राषि 3,50,000/- रूपये को गवाह श्री साहील चंचावत को सम्भलवाया गया। जिस पर आरोपी श्री शरीफ खान को पुनः तसल्ली देकर पूछा गया की ये रिष्वत राषि तुमने किसके लिए ली है। परन्तु आरोपी द्वारा संतोषप्रद जवाब नही दिया। लेकिन उक्त रिष्वत मांग सत्यापन, मोबाईल वार्ता एवं लेन-देन वार्ताओ से पूर्णतः स्पष्ट है की उक्त राषि की मांग वकील द्वारा सीआई श्री दिलीप सिंह के लिए की जा रही थी। प्रकियानुसार आरोपी श्री शरीफ खान वकील के दोनो हाथों का धोवन लिया जाना वांछित होने से श्री दिनेष कुमार सउनि से प्राईवेट वाहन में से टेप बाक्स मंगवाया जाकर श्री दिनेष कुमार सउनि से टेप बाक्स में से दो नई प्लास्टिक के पारदर्शी साफ गिलास निकलाकर परिवादीया के रहवासी मकान की रसौई पिने का साफ पानी प्लास्टिक का मग में भरकर मंगवाया उक्त गिलासों में साफ पानी भरवाकर इनमें एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। जिसे उपस्थितिन ने स्वीकार किया। उक्त गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री शरीफ खान वकील के दाहिने हाथ की अंगुलियो व अंगुठे को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गुलाबी हुआ। जिसे कांच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सिलचिट बंद श्री दिनेष कुमार सउनि से कराये जाकर मार्क RH-1 व RH-2 अंकित करा चिट व कपड़े पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसी प्रकार दूसरे गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री दिनेष कुमार सउनि के बाये हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गुलाबीहुआ। जिसे कांच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सिलचिट बंद श्री दिनेष कुमार सउनि से कराये जाकर मार्क LH-1 व LH-2 अंकित करा चिट व कपड़े पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। रिश्वत राशि आरोपी श्री शरीफ खान वकील के कैरी बैग के अन्दर से कपडे की थैली बरंग स्लेटी से बरामद हुए थे जिसका नियमानुसार धोवन लिया जाना आवष्यक होने से एक नई प्लास्टिक की पारदर्शी गिलास ट्रेप बाक्स में से निकालकर उसमें साफ पानी भरवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, टेप बाक्स से साफ रूई का फौआ निकाला जाकर उक्त घोल में साफ रूई के फौए को डूबोकर निचैड कर बरामद रिष्वत राषि कैरी बैग बरंग काले की बीच वाली चैन के जेब में घुमाया जाकर उक्त घोल में डूबोया गया तो घोल का रंग गुलाबी हुआ जिसे कांच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सिलचिट बंद श्री दिनेष कुमार सउनि से कराये जाकर मार्क B-1 व B-2 अंकित करा चिट व कपडे पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उपरोक्त कैरी बैग बरंग काले को एक सफेद कपड़े की थैली में रखा जाकर मार्क B अंकित करा सिलचिट बंद कराया जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर वजह सबूत कब्जे ब्यूरो लिया गया। उपस्थितिन के समक्ष आरोपी श्री शरीफखान के पास ही सौफे पर पडे कैरी बैग बरंग काले के बीच वाली चैन की जेब में से बरामद कपडे की थैली बरंग स्लेटी जिसमें से रिष्वती राषि कुल 2,50,000/- रूपये एवं 1,00,000/- रूपये कुल 3,50,000/- रूपये बरामद हुए थे। उक्त राषि में कुल 2,50,000/- रूपये की राषि पूर्व में मूर्तिब फर्द पेषकषी से मिलान हुई थी उपरोक्त बरामद रिष्वती राषि पर नियमानुसार एक सफेद कागज की चिट लगाकर श्री दिनेष कुमार सउनि से सिलचिट बन्द करा नियमानुसार कब्जे ब्यूरों लिये गया एवं शेष 1,00,000/-रूपये आरोपी श्री शरीफ खान के पास से बरामद हुए थे जो की आरोपी शरीफ खान ने दिनांक 23.04.2025 को रिष्वत मांग सत्यापन पुलिस थाना राजतालाब परिसर में ग्रहण किए थे जिसकी पुष्टि आरोपी ने भी की है । उक्त राषि को भी कब्जे ब्यूरो लिया गया। उक्त बरामद राषि जो की कपडे की थैली बरंग स्लेटी में मिलने से नियमानुसार कपडे की थैली को एक सफेद कपड़े की थैली में रखा जाकर सिलचिट बंद कराया जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर

वजह सबूत कब्जे ब्यूरो लिया गया।इसके बाद परिवादीया के रहवासी मकान में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए होने से उक्त कैमरो में आरोपी श्री शरीफ के आने जाने एवं रिष्वती राषि मांग एवं ग्रहण बाबत् पर्याप्त साक्ष्य होने से उक्त सीसीटीवी कैमरे के मूल डिवीआर को कब्जे ब्यूरो लिया जाकर उसकी पेन ड्राईव तैयार कर नियमानुसार फर्द जप्ती डिवीआर एवं पेन ड्राईव अकब से मूर्तिब की जावेगी। तत्पष्चात आरोपी श्री शरीफ खान को पुनः समझाईष कर पूछा गया कि उक्त राषि किसके लिए और किस कार्य हेतु ग्रहण की गई तो आरोपी श्री शरीफ खान ने कुछ भी नही कहकर वो मौन रहा इससे स्पष्ट है कि उक्त राषि की मांग आरोपी श्री शरीफ खान वकील द्वारा सीआई श्री दिलीप सिंह के लिए ही की गई थी।रिष्वत मांग सत्यापन एवं मोबाईल वार्ता के दौरान आरोपी श्री शरीफ खान द्वारा जो कार्य करवाने हेतु कहां गया और पूर्णतः परिवादीया को निष्चिंत रहने का आष्वासन दिया गया की सीआई साहब मेंरे खास है और उन्होने जो मैसेज दिया है वही में आप तक पहुंचाउंगा और इससे यह स्पष्ट होतो है कि उक्त जो कार्य थे वे आरोपी श्री शरीफ खान वकील के स्तर के थे ही नही क्योकी ना तो पुलिस द्वारा उक्त वाहनो की जप्ती बनायी गई ना उसके प्रोपट्री को नोटिस चस्पा किए केवल दोनो द्वारा आपस में मिलिभगत कर परिवादीया को धमका कर उससे राषि ऐंठने का कार्य किया जा रहा था जो की मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का विष्वास करने का पर्याप्त कारण है। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री राजेन्द्र सिंह पुलिस निरीक्षक को जरिये दूरभाष काल कर अवगत कराया की श्री शरीफ खान वकील द्वारा रिष्वत राषि ग्रहण कर ली गई है, जिसे डिटेन किया है एवं श्री दिलीप सिंह, पुलिस निरीक्षक इसमें मुख्य आरोपी है इसलिए आप उसे दस्तयाब कर ब्यूरो कार्यालय लेकर उपस्थित हो, श्री दिलीप सिंह पुलिस निरीक्षक के मिलने पर मजिद पूछताछ की जावेगी। दिनाक 24.04.2025 समय 04.00 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादीया सुश्री जिनत की निशांदेही पर फर्द घटना स्थल नक्शा मौका मुर्तिब कर गवाहान एवं संबधितो के हस्ताक्षर कराये गए। घटना स्थल रहवासीय मकान होने से एवं कालोनी होने से आम लोगो की आवा जाही होने से अग्रिम कार्यवाही ब्यूरो इकाई बांसवाडा पहूंच किया जाता उचित रहेगा। दिनांक 24.04.2025 समय 04.10 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय परिवादीया व दोनो स्वतंत्र गवाह, डिटेन शुदा आरोपी श्री शरीफ खान मय ब्यूरो जाप्ता तथा जब्त शुदा सीलचीट बंद धोवन की शीशीयां, रिश्वती राशि 2,50,000/- मय बरामद राशि 1,00,000/-रूपये सिलचिट शुदा समस्त आर्टिकल मय सरकारी लेपटाप, प्रिन्टर, ट्रेप बाक्स व डिजिटल टेप रिकार्डर को हमराह लेकर इन्दिरा कालोनी से अपने-अपने वाहनो से ब्यूरो इकाई बांसवाडा के लिये रवाना हुए। दिनाक 24.04.2025 समय 04.30 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय परिवादी व दोनो स्वतंत्र गवाह, डिटेन शुदाआरोपी श्री शरीफ वकील मय ब्यूरो जाप्ता तथा जब्त शुदासील चीट बंद धोवन की शीशीयां, रिश्वती राशि 2,50,000/- मय बरामद राशि 1,00,000/-रूपये सिलचिट शुदा समस्त आर्टिकल मय सरकारी लेपटाप, प्रिन्टर, ट्रेप बाक्स व डिजिटल टेप रिकार्डर को हमराह ले जरिये अपने-अपने वाहनो से ब्यूरो कार्यालय बांसवाडा पहूंचे। जब्तशुदा सीलचीट धोवन की शीशीयां, रिश्वती राशि 2,50,000/- मय बरामद राशि 1,00,000/-रूपये सिलचिट शुदा इत्यादी को श्री दिनेश कुमार सउनि को संभलवाये गये। दिनाक 24.04.2025 समय 04.50 पीएम पर दिनांक 23.04.2025 को समय 04.01 पीएम पर परिवादीया एवं आरोपी श्री शरीफ खान वकील के मध्य हुई मोबाईल वार्ता, समय 04.09 पीएम पर परिवादीया द्वारा आरोपी के मोबाईल पर काल किया लेकिन आरोपी ने काल रिसीव नही किया, समय 04.12 पीएम को परिवादीया व आरोपी श्री शरीफ खान के मध्य हुई मोबाईल वार्ता तथा समय 05.51 पीएम पर परिवादीया, आरोपी श्री शरीफ खान एवं आरोपी श्री दिलीप सिंह पुलिस निरीक्षक के मध्य आमने-सामने हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता जिसे परिवादी द्वारा ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड मे रिकार्ड किया गया।उक्त डिजिटल टेप रिकार्डर को परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष रिकार्ड शुदावार्ता को चलाकर सुनाया गया उक्त डिजिटल टेप रिकार्डर को ब्यूरो के कम्प्युटर से कनेक्ट करा श्री बन्सीलाल कानि0 से फर्द ट्रांसक्रिप्टे तैयार करवाई जाकर स्वंतत्र गवाह एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त वार्ता का मूल मेमोरी कार्ड से पेन ड्राईव पृथक से तैयार किया जायेगा। दिनाक 24.04.2025 समय 07.00 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को विश्वसनीय सूत्रो से ज्ञात हुआ की श्री दिलीप सिंह, पुलिस निरीक्षक पुलिस लाईन बांसवाडा में स्थित अपने सरकारी आवास पर आ चुका है। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री राजेन्द्र सिंह पुलिस निरीक्षक भ्रनिब्यूरो डूंगरपुर मय जाप्ता से समन्वय स्थापित कर तुरन्त ही पुलिस लाईन बांसवाडा पहुंचने के निर्देश प्रदान कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतन्त्र गवाह व मय ब्यूरो जाप्ता जरिये सरकारी वाहन के कार्यालय से पुलिस लाईन बांसवाडा के लिए रवाना हुआ। दिनाक 24.04.2025 समय 07.15 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान उपरोक्त फिगरा का रवानाशुदा पुलिस लाईन बांसवाडा पहूंचा जहां पूर्व से पाबन्दशुदा श्री राजेन्द्र सिंह पुलिस निरीक्षक भ्रनिब्यूरो डूंगरपुर मय ब्यूरो जाप्ता उपस्थित मिले जिन्हे हमराह लेकर आरोपी श्री दिलीप सिंह पुलिस निरीक्षक पुलिस थाना राजतालाब के पुलिस लाईन स्थित सरकारी आवास पर पहूंचे। जहां श्री दिलीप सिंह पुलिस निरीक्षक टहलता हुए मिले जिस पर अपने-अपने वाहनो को साईड खडा कर उसके पास पहूंचे एवं अपना परिचय देते हुए आने के मन्तव्य से अवगत कराया जाकर उन्हे यथास्थिती उनके भू तल पर स्थित सरकारी आवास की तलाशी लिया जाना आवश्यक होने से नियमानुसार सरकारी आवास की खानातलाशी ली गई जिमकी फंर्द पृथक से मूर्तिब की जावेगी। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा सरकारी आवास पर ताला लगवा कर उनके पडौसी श्री अमर सिंह सउनि को सुपूर्द की गई। तत्पश्चात

मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतन्त्र गवाह् मय ब्यूरो जाप्ता एवं डिटेनशुदा आरोपी श्री दिलीप सिंह पुलिस निरीक्षक को हमराह लेकर पुलिस थाना राजतालाब के लिए वाहनो से रवाना हुए। दिनाक 24.04.2025 समय 08.20 पीएम पर उपरोक्त फिगरा का रवानाशुदा पुलिस थाना राजतालाब जिला बांसवाडा पहूंचा। आरोपी श्री दिलीप सिंह पुलिस निरीक्षक के कार्यालय कक्ष की तलाशी हेतु कक्ष में प्रवेश किया जहां श्री गोपीचंद मीणा, वृत्ताधिकारी बांसवाडा कुर्सी पर बैठे हुए मिले। तत्पश्चात स्वतन्त्र गवाह् के समक्ष ब्यूरो जाप्ता द्वारा पुलिस निरीक्षक के कार्यालय कक्ष की तलाशी ली गई जिसकी फर्द खानातलाशी पृथक से मूर्तिब की जावेगी। तत्पश्चात थाना हाजा द्वारा 107 (2) बीएनएसएस के तहत परिवादीया उसके परिवार के विरूद्व सम्पत्ति कुर्की हेतु की गई कार्यवाही के सम्बन्ध थाना हाजा के रोजनामचा रपट, मालखाना रजिस्टर, फर्द जप्ती आदि की प्रमाणित प्रतियां पेश करने हेतु डिओ श्री गौतमलाल को निर्देशीत करते हुए थानाधिकारी के कार्यालय कक्ष को उनके जिम्मे सम्भलवाया गया। दिनाक 24.04.2025 समय 09.26 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान व डिटेन शुदा आरोपी श्री दिलीप चारण पुलिस निरीक्षक हमराह ब्यूरो जाप्ता के जरिये वाहन ब्यूरो इकाई बांसवाडा के लिए रवाना हुए। दिनाक 24.04.2025 समय 09.40 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान व डिटेन शुदा आरोपी श्री दिलीप सिंह पुलिस निरीक्षक को हमराह ले ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आया। श्री दिलीप सिंह पुलिस निरीक्षक को कार्यालय कक्ष में सुरक्षित निगरानी में बैठाया गया। दिनाक 24.04.2025 समय 10.00 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहो के समक्ष श्री दिलीप सिंह पुलिस निरीक्षक को आवष्यक पूछताछ हेतु कार्यालय कक्ष में तलब कर उपरोक्त कार्यवाही में संलिप्तता बाबत् पूछा गया तो उन्होने ने अपनी अनभिज्ञता जाहीर की जिस पर श्री दिलीप सिंह पुलिस निरीक्षक कोपुनः समझाईष कर पूछा गया की पुलिस थाना राजतालाब की रोजनामचा डायरी संख्या 43 दिनांक 18.04.2025 को समय 03.56 पीएम पर जाप्ता थाना हाजा की हल्का गष्त हेतु रवाना हुआ था तत्पष्चात डायरी संख्या 50 दिनाक 18.04.2025 समय 06.27 पीएम पर श्रीमान् सीजेएम साहब बांसवाडा के धारा 107 बीएनएसएस के अन्तर्गत कुर्की हेतु वाहनों को डिटेन कर थाना हाजा पर लाया गया था जिनके नम्बर 1. फोर्ड ईकोस्पोर्ट कार नं आरजे 03 सीडी 2727, 2. बजाज पल्सर मोटरसाईकल नं आरजे 03 एसआर 4348, 3. टिवीएस अपाचे मोटरसाईक नं आरजे 03 एबी 5342, 4. हिरो होण्डा स्पलेण्डर नं आरजे 03 वीएस 9501, 5. टिवीएस जुपीटर नं आरजे 03 बीएस 5508, 6. टिवीएस वीगो स्कुटी नं आरजे 03 एसएल 3531 ये थे तत्पष्चात डायरी संख्या 35 दिनांक 24.04.2025 को समय 18.11 पीएम पर पुनः 107 बीएनएसएस में ईको स्पोर्ट कार व बजाज पल्सर मोटरसाईकल कुर्की हेतु डिटेन किये गए। तत्पष्चात पुनः डायरी संख्या 38 दिनांक 24.04.2025 समय 18.45 पीएम पर माननीय कोर्ट के आदेष की पालना में 107 बीएनएसएस के अन्तर्गत कुर्की सम्बन्धित नोटिस तामील जाप्ता रवाना किया गया। एवं आपके थाने के मालखाना रपट संख्या 55 दिनांक 18.04.2025 श्रीमान् सीजेएम कोर्ट बांसवाडा के आदेष की पालना में 107 बीएनएसएस में वाहन ईको स्पोर्टर्स फोर्ड आर नं आरजे 03 सीडी 2727 एवं बजाज पल्सर मोटरसाईल नं आरजे 03 एसआर 4348 का फर्द जप्ती केवल दो ही वाहनो का बनाया गया है जिसका इन्द्राज मालखाना रजिस्टर में है तत्पष्चात ब्यूरो कार्यालय के पत्रांक एसपीएल-2 दिनाक 24.04.2025 द्वारा चाही गई सूचना में आप द्वारा सीर्फ वाहन ईको स्पोर्टर्स फोर्ड आर नं आरजे 03 सीडी 2727 एवं बजाज पल्सर मोटरसाईल नं आरजे 03 एसआर 4348 की जप्ती बनाई गई जिसकी सूचना प्रति उपलब्ध करवाई थी तथा आज दिनाक 24.04.2025 को पुलिस थाना राजतालाब के पत्रांक 1168, 1169,1170 दिनाक 24.04.2025 को वाहनो को कुर्क हेतु नोटिस जारी किए गए है एवं दिनांक 23.04.2025 को आप द्वारा सुश्री जिनत आपके पुलिस थाना राजतालाब में उपस्थित हुई तब आपके द्वारा वकील श्री शरीफ खान के मार्फत सीर्फ दो ही गाडी दी गई जिसमें ना तो आपके द्वारा उसकी फर्द सुपूर्दगी बनाई और ना ही उक्त वाहनो को आपने जप्त किया गया ना ही थाना हाजा मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज दर्षाया गया है और उक्त दिनाक 22.04.2025 आपके दलाल श्री शरीफ एवं दिनांक 23.04.2025 को आपके तथा परिवादीया के मध्य हुई वार्ता में ये स्पष्ट प्रमाण है कि आपने केवल दो ही गाडीयो को जप्त किया गया है जो की रिष्वत मांग सत्यापन, मोबाईल वाता एवं लेन-देन वार्ता से स्पष्ट है। जिस पर श्री दिलीप सिंह पुलिस निरीक्षक ने बताया की हमारे द्वारा उक्त वाहन उनके घर पर मिलने के कारण लाए गए थे जिनके दस्तावेजो की जांच की जा रही थी दस्तावेज उपलब्ध होने पर ही जप्ती की कार्यवाही की जा सकती थी केवल हमारे पास दो ही वाहनो के दस्तावेज थे और जिस कारण हमने इन्हे जप्त किया था क्योकि माननीय न्यायालय द्वारा उनसे सम्बन्धित वाहनो को ही कुर्क करने के आदेष थे। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा रिष्वत मांग सत्यापन वार्ता, मोबाईल वार्ता एवं लेन-देन वार्ता एवं तीन वाहनो को छोडने की बात कह कर अपने दलाल श्री शरीफ के मार्फत रिष्वत राषि की मांग की गई। जो की उक्त दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों के आधार पर आपके द्वारा रिष्वत मांग किया जाना प्रमाणित है। क्योकी कोई भी दलाल या वकील बिना न्यायीक प्रक्रिया अपनाये उक्त गाडीयों को छुडाना सम्भव नही है। ये श्री दिलीप सिह पुलिस निरीक्षक एवं श्री शरीफ खान के साथ मिलिभगत कर परिवादीया से रिष्वती राषि मांग कर दलाल द्वारा ग्रहण भी कर ली गई। आपके द्वारा दलाल के मार्फत रिष्वत की मांग करना जो धारा 7, 7 ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2018 (यथा संषोधित 2018) एवं 61 (2) बीएनएसएस 2023 के पूर्ण साक्ष्य है। दिनाक 25.04.2025 समय 12.00 एएम पर दिनांक 24.04.2025 को समय 01.13 पीएम पर परिवादीया एवं आरोपी श्री शरीफ खान के मध्य जरिये मोबाईल एवं समय 01.15 पीएम पर

परिवादीया एवं आरोपी श्री शरीफ के मध्य आमने सामने हुई लेन-देन वार्ता जिसे परिवादी द्वारा ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड मे रिकार्ड किया गया। उक्त डिजिटल टेप रिकार्डर को परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष रिकार्ड शुदा वार्ता को चला कर सुनाया गया उक्त डिजिटल टेप रिकार्डर को ब्यूरो के कम्प्युटर से कनेक्ट करा श्री बन्सीलाल कानि0 से फर्द ट्रांसक्रिप्टे तैयार करवाई जाकर स्वंतत्र गवाह एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त वार्ता का मूल मेमोरी कार्ड से पेन ड्राईव पृथक से तैयार किया जायेगा। दिनाक 25.04.2025 समय 01.30 एएम पर पाबन्दशुदा श्री गोपीचन्द मीणा वृताधिकारी वृत बांसवाडा जो ब्यूरो इकाई बांसवाडा पर उपस्थित आए तत्पश्चातब्यूरो के डिजीटल टेप रिकोर्डर में रिकोर्ड शुदा दिनांक 22.04.2025 को रिष्वत मांग सत्यापनवार्ता मोबाईल वार्ता एवं दिनाक 23.04.2025 को हुई रिष्वत लेन-देन वार्ताओ के मुख्य अंष को मौके पर उपस्थित आये श्री गोपीचंद मीणा को सुनाई गई तो श्री गोपीचंद मीणा पुलिस उप अधीक्षक ने कहां की मुझे जो आवाज सुनाई गई तों मैं यह नही कह सकता की वो मेंरे अधीनस्थ दिलीप सिंह की है। दिनाक 25.04.2025 समय 03.30 एएम पर दिनाक 22.04.2025 को रिष्वत राषि मांग सत्यापन के दौरान परिवादीया एवं आरोपी श्री शरीफ के मध्य एवं इसी दौरान मौके पर आरोपी शरीफ की वार्ता आरोपी श्री दिलीप सिंह जरिये व्हाट्सएप काल हुई, मोबाईल वार्ता जिसे नियमानुसार ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकोर्डर मय मेमोरी कार्ड में परिवादीया के द्वारा रिकोर्ड की गई। उक्त मेमोरी कार्ड को सुरक्षा की दृष्टि से कार्यालय की अलमारी में रखवाया गया था जिसे ब्यूरो के डिजीटल टेप रिकाॅर्डर में लगवाया जाकर डिजिटल टेप रिकाॅर्डर मय मेमोरी कार्ड को सरकारी कम्प्यूटर से श्री बंसीलाल कान्सटेबल नम्बर 63 से कनेक्ट करा वार्तालाप की दो पेनड्राईव तैयार की गयी। एक पर मूल पेन ड्राईव तथा दूसरी पर डब पेनड्राईव लिखा जाकर मूल पेन ड्राईव ईवीएम यूएसबी 2.0 बरंग सील्वर 16 जीबी जिसकी हेश वेल्यू नियमानुसार निकलवाकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर मूल पेनड्राईव को कवर में रखकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कवर को एक सफेद कपड़े की थेली में रखकर नियमानुसार सिलचिट बंद कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा पृथक से जरिये फर्द जब्त कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा कर कब्जे ब्यूरो लिया गया तथा डब पेन ड्राईव ईवीएम यूएसबी 2.0 बरंग सील्वर 16 जीबी को अलग कवर में रखकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर सुरक्षित रखा गया। दिनाक 25.04.2025 समय 04.30 एएम पर दिनाक 23.04.2025 एवं 24.04.2025 को रिष्वत राषि मांग सत्यापन, मोबाईल वार्ता एवं लेन-देन वार्ता जो की परिवादीया एवं आरोपी श्री शरीफ, आरोपी श्री दिलीप सिंह की वार्ता जिसे नियमानुसार ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकोर्डर मय मेमोरी कार्ड में परिवादीया के द्वारा रिकोर्ड की गई जिसे नियमानुसार ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकोर्डर मय मेमोरी कार्ड में परिवादी के द्वारा रिकोर्ड की गई। डिजिटल टेप रिकाॅर्डर मय मेमोरी कार्ड को सरकारी कम्प्यूटर से श्री बंसीलाल कान्सटेबल नम्बर 63 से कनेक्ट करा वार्तालाप की दो पेन ड्राईव तैयार की गयी। एक पर मूल पेन ड्राईव तथा दूसरी पर डब पेनड्राईव लिखा जाकर मूल पेन ड्राईव ईवीएम यूएसबी 2.0 बरंग सील्वर 16 जीबी जिसकी हेश वेल्यू नियमानुसार निकलवाकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर मूल पेनड्राईव को कवर में रखकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कवर को एक सफेद कपड़े की थेली में रखकर नियमानुसार सिलचिट बंद कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा पृथक से जरिये फर्द जब्त कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा कर कब्जे ब्यूरो लिया गया तथा डब पेन ड्राईव ईवीएम यूएसबी 2.0 बरंग सील्वर 16 जीबी को अलग कवर में रखकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर सुरक्षित रखा गया। दिनांक 25.04.2025 समय 05.30 एएम पर आरोपी श्री शरीफ वकील (दलाल) के विरूद्व ट्रेप कार्यवाही के दौरान् श्री बन्सीलाल कानि. 63 के मोबाईल वनप्लस कम्पनी से विडियोग्राफी करवाई गई थी उक्त मोबाईल को सरकारी कम्प्यूटर से श्री बन्सीलाल नम्बर 63 से कनेक्ट करा विडियोग्राफी की दो पेनड्राईव तैयार की गयी। एक पर मूल पेन ड्राईव तथा दूसरी पर डब पेन ड्राईव लिखा गया। मूल पेन ड्राईव ईवीएम यूएसबी 2.0 बरंग मील्वर 16 जीबी को कवर में रखकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा कर कवर को एक सफेद कपड़े की थेली में रखकर नियमानुसार सिलचिट बंद कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा पृथक से जरिये फर्द जब्त कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा कर कब्जे ब्यूरो लिया गया तथा डब पेन ड्राईव ईवीएम यूएसबी 2.0 बरंग सील्वर 16 जीबी को अलग कवर में रखकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर सुरक्षित रखा गया। दिनांक 25.04.2025 समय 06.00 एएम पर आरोपी श्री दिलीप सिंह चारण पुलिस निरीक्षक के पुलिस लाईन बांसवाडा स्थित सरकारी आवास एवं पुलिस थाना राजतालाब के थानाधिकारी कक्ष की खानातलाषी के दौरान श्री बन्सीलाल कानि. 63 के मोबाईल वनप्लस कम्पनी से विडियोग्राफी करवाई गई थी उक्त मोबाईल को सरकारी कम्प्यूटर से श्री बन्सीलाल नम्बर 63 से कनेक्ट करा विडियोग्राफी की दो पेनड्राईव तैयार की गयी। एक पर मूल पेन ड्राईव तथा दूसरी पर डब पेन ड्राईव लिखा गया। मूल पेन ड्राईव ईवीएम यूएसबी 2.0 बरंग सील्वर 16 जीबी को कवर में रखकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा कर कवर को एक सफेद कपड़े की थेली में रखकर नियमानुसार सिलचिट बंद कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा पृथक से जरिये फर्द जब्त कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा कर कब्जे ब्यूरो लिया गया तथा डब पेन ड्राईव ईवीएम यूएसबी 2.0 बरंग सील्वर 16 जीबी को अलग कवर में रखकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर सुरक्षित रखा गया। दिनांक 25.04.2025 समय 07.00 एएम पर तलबिदा षुदा श्री बापुलाल हैड कानि 436 पुलिस थाना राजतालाब जिला बांसवाडा रिकार्ड प्रपत्र पत्रावली तब्बसुम वगैरा निवासी इन्दिरा कालोनी की प्रमाणित प्रतियां लेकर उपस्थित आया जिसे बाद अवलोकन कर

सम्बन्धित स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवा शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 25.04.2025 समय 07.30 एएम पर दौराने टेप कार्यवाही परिवादीया सुश्री जिनत के रहवासी मकान इन्दिरा कालोनी जहां आरोपी श्री शरीफ खान द्वारा रिष्वत राषि मांग एवं लेन-देन वार्ता के की गई थी उक्त राषि ग्रहण के दौरान परिवादीया के निवास स्थान के हाल में सीसीटीवी कैमरे लगे होने से फुटैज आवष्यक होने से डिवीआर से उक्त टेप कार्यवाही की विडियोग्राफी की दो पेनड्राईव तैयार की गयी। एक पर मूल पेन ड्राईव तथा दूसरी पर डब पेन ड्राईव लिखा गया। मूल पेन ड्राईव ईवीएम यूएसबी 2.0 बरंग सील्वर 16 जीबी को कवर में रखकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा कर कवर को एक सफेद कपड़े की थेली में रखकर नियमानुसार सिलचिट बंद कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा पृथक से जरिये फर्द जब्त कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा कर कब्जे ब्यूरो लिया गया तथा डब पेन ड्राईव ईवीएम यूएसबी 2.0 बरंग सील्वर 16 जीबी को अलग कवर में रखकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर सुरक्षित रखा गया तथा परिवादीया उक्त डिवीआर को पुनः परिवादीयां को सुपूर्द किया गया। दिनांक 25.04.2025 समय 08.00 ए.एम. पर आरोपी श्री दिलीप सिंह पुलिस निरीक्षक को उसके द्वारा किये गये जुर्म से आगाह कर नियमानुसार जरिये फर्द गिरफतार किया जाकर फर्द गिरफतारी एवं जामा तलाशी अलग से मूर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के बताए अनुसार उनके रिष्तेदार श्री महिपाल सिंह चारण के मोबाईल पर सुचित किया गया। दिनांक 25.04.2025 समय 08.30 ए.एम. पर आरोपी श्री शरीफ खान वकील को उसके द्वारा किये गये जुर्म से आगाह कर नियमानुसार जरिये फर्द गिरफतार किया जाकर फर्द गिरफतारी एवं जामा तलाशी अलग से मूर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के बताए अनुसार उसकी पत्नि शाहना को उसके मोबाईल पर सुचित किया गया। दिनांक 25.04.2025 समय 09.00 ए.एम.पर आरोपी श्री दिलीप सिंह पुलिस निरीक्षक को भ्रनिब्यूरो के पत्रांक एसपीएल-2 दिनांक 25.04.2025 आवाज का नमूना हेतु व स्पष्टीकरण प्राप्त करने के संबंध में पत्रांक एसपीएल-3 दिनांक 25.04.2025 एवं श्री शरीफ खान को भ्र.नि.ब्यूरो बांसवाड़ा के पत्रांक एसपीएल-4 दिनांक 25.04.2025 आवाज का नमूना हेतु व स्पष्टीकरण प्राप्त करने के संबंध में पत्रांक एसपीएल-5 दिनांक 25.04.2025 दिया गया तो आरोपी ने उसी पत्र पर अपनी आवाज का नमूना देने से मना किया है साथ ही अपने स्पष्टीकरण में अंकित किया कि ब वक्त न्यायालय में अपना स्पष्टीकरण पेश करूंगा। दोनो पत्रों पर स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किये गये। दिनांक 25.04.2025 समय 09.30 ए.एम. पर आरोपी श्री दिलीप सिह एवं श्री शरीफ खान के मध दिनंाक 22.04.2025 को रिष्वत मांग सम्बन्धि वार्ता हुई थी आरोपी श्री दिलीप सिह की जामा तलाषी के स्वतंत्र गवाह श्री नरेष कुमार से लिवाई गई थी तब आरोपी के पास से मोबाईल बरामद हुआ था जिसे स्वतंत्र गवाह श्री नरेश कुमार को सम्भलाये गये थे जिसे जब्त करना आवष्यक होने से आरोपी के मोबाईल फोन को जरिये फर्द जब्त कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ब्यूरो लिया जाकर सिलचिट किया गया। दिनांक 25.04.2025 समय 10.30 ए.एम. पर आरोपी श्री शरीफ खान एवं श्री दिलीप सिंह पुलिस निरीक्षक के मध्य दिनांक 22.04.2025 एवं 23.04.2025 तथा 24.04.2025 दौराने टेप कार्यवाही मोबाईल वार्ता हुई थी आरोपी श्री षरीफ खान की जामा तलाषी स्वतंत्र गवाह श्री नरेष कुमार से लिवाई गई थी तब आरोपी के पास से मोबाईल बरामद हुआ था जिसे स्वतंत्र गवाह श्री नरेश कुमार को सम्भलाये गये थे जिसे जब्त करना आवष्यक होने से आरोपी के मोबाईल फोन को जरिये फर्द जब्त कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ब्यूरो लिया जाकर सिलचिट किया गया। दिनांक 25.04.2025 समय 11.30 ए.एम. पर दिनांक 22.04.2025, 23.04.2025 को हुई रिष्वत मांग सत्यापन, मोबाईल एवं आमने-सामने हुई वार्ता एवं 24.04.2025 को आमने सामने हुई रिष्वत लेन-देन वार्ता जिसे परिवादी के द्वारा ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकार्ड की गई। जिसकी हेश वेल्यू नियमानुसार पृथक-पृथक निकलवाकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर उक्त दोनो मेमोरी कार्ड को डिजिटल टेप रिकार्डर में मे मूल ही निकलवाया गया तो दोनो मेमोरी कार्ड बरंगकाला 8 जी.बी. जिस परआरजी लाईटलिखा हुआ है, को जरिये फर्द वजह सबूत नियमानुसार मार्क M अंकित कर जब्त किया गया। दिनांक 25.04.2025 समय 12.00 पी.एम. पर जब्तशुदा मालखाना आईटम को सुरक्षित कार्यालय के मालखाना में रखने हेतु श्री दिनेष कुमार सहायक उप निरीक्षक को निर्देशित किया गया। तत्पष्चात परिवादीया, दोनो स्वतंत्र गवाहान तथा ब्यूरो जाप्ता डूंगरपुर को रूखसत किया गया। दिनांक 25.04.2025 समय 07.40 पी.एम. पर आरोपीगण श्री दिलीप सिह पुलिस निरीक्षक एवं श्री शरीफ खान का मेडीकल परीक्षण करवाने हेतु एवं सुरक्षा की दृष्टि से बंद हवालात कराने हेतु पुलिस थाना सदर जिला बांसवाडा के नाम पृथक-पृथक तहरिरे जारी कर श्री बसंीलाल कानि, श्री जितेन्द्र सिंह चालक कानि को जरिये वाहन रवाना किए। दिनांक 25.04.2025 समय 08.30 पी.एम. पर आरोपीगण श्री दिलीप सिह पुलिस निरीक्षक एवं श्री शरीफ खान का मेडीकल स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर आरोपीगणों को पुलिस थाना सदर जिला बांसवाडा में दाखिल हवालात करा ब्यूरो कार्यालय बांसवाड़ा उपस्थित आये और आरोपीगण के मेडीकल स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट व पुलिस थाना सदर जिला बांसवाडा की रोजनामचा रपट पेष की जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण में आरोपीगण श्री दिलीप सिह चारण पुलिस निरीक्षक एवं श्री शरीफ को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाकर न्यायाधीश महोदय् के आदेशानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। प्रकरण में परिवादी द्वारा पेश रिपोर्ट, फर्द ट्रांसक्रिप्शन रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता, फर्द पेशकशी एवं सुपूर्दगी नोट एवं दृष्टान्त फिनापथेलीन पाउडर, फर्द बरामदगी रिष्वत राषि एवं हाथ धुलाई, फर्द नक्शा मौका घटनास्थल रिश्वत राशि

ग्रहण, फर्द ट्रान्सक्रिप्ट रिश्वत लेन-देन वार्ता, जरिये मोबाईल वार्ता तथा प्रकरण की समस्त परिस्थितियों से पाया गया कि आरोपी द्वारा परिवादीया के व उसके परिवारजन के गाडीयां व प्रोपर्टी को छोडने के लिये व बाकी बचे परिवार के लोगो को गिरफ्तार नही करने व भविष्य में परेषान नही करने की एवज में रिष्वत राषि मांगकर ग्रहण की गई। इस प्रकार आरोपीगण श्री दिलीप सिह पुलिस निरीक्षक द्वारा अपने पद एवं अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए अपने देय पारिश्रमिक के अतिरिक्त अवैध रिष्वत राषि की मांग अपने दलाल श्री शरीफ खान के मार्फत परिवादिया से की गई जो नियमानुसार दिनांक 22.04.2025 व दिनांक 23.04.2025 को रिष्वत राषि मांग का सत्यापन करवाया गया तो आरोपीगण द्वारा परिवादीया से रिष्वत मांग वार्ता के दौरान 3,50,000/-रूपये रिष्वत राषि लेने पर सहमत हुआ और मांग सत्यापन के दौरान 1,00,000/- रूपये परिवादीया से ग्रहण किये गए। तत्पष्चात नियमानुसार अग्रिम टेªप कार्यवाही आयोजित की जाकर दिनंाक 24.04.2025 को आरोपी श्री शरीफ खान वकील ने आरोपी श्री दिलीप सिंह चारण पुलिस निरीक्षक पुलिस थाना राजतलाब जिला बांमवाडा के लिये परिवादीया से बकाया रिष्वत राषि 2,50,000/- रूपये अपनी मांग अनुसार ग्रहण करते हुए आरोपी श्री शरीफ खान को रंगे हाथो गिरफ्तार किया गया तथा आरोपी श्री दिलीपसिंह चारण पुलिस निरीक्षक की उक्त मामले में स्पष्ट संलिप्ता पाये जाने पर नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। मौके से रिष्वत राषि बरामद की जा चुकी है तथा आरोपीगण से कोई बरामदगी शेष नहीं है। इस प्रकार आरोपीगण आरोपीगण श्री दिलीप सिह चारण पुलिस निरीक्षक एवं श्री शरीफ द्वारा अपने पद एवं अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए अपने देय पारिश्रमिक के अतिरिक्त अवैध रिष्वत राषि परिवादी से मांगकर ग्रहण करना जूर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संषोधित) अधिनयिम 2018 एवं 61 (2) बीएनएसएस 2023 में प्रथम दृष्टया प्रमाणित होने पर दिनंाक 25.04.2025 को गिरफ्तार किया गया है। जो की जूर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संषोधित) अधिनयिम 2018 एवं 61 (2) बीएनएसएस 2023 के प्रथम दृष्टया प्रमाणित है। अतः आरोपीगण श्री दिलीप सिह चारण पुलिस निरीक्षक एवं श्री शरीफ के विरूद्व जूर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संषोधित) अधिनयिम 2018 एवं 61 (2) बीएनएसएस 2023 में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान् महानिदेशक महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर की सेवामें प्रेषित हैं। भवदीय, (ऋषिकेष मीना) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रनिब्यूरो, बांसवाडा.............कार्यवाही पुलिस.......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री ऋषिकेष मीना ,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रनिब्यूरो, बांसवाडा ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अर्न्तगत 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं धारा 61(2) बी.एन.एस 2023 में आरोपी 1.श्री दिलीप सिंह पिता श्री छत्तर सिंह जाति चारण उम्र 46 वर्ष निवासी खराडी थाना आनंदपुर कालू जिला ब्यावर हाल पुलिस निरीक्षक, पुलिस थाना राजतालाब जिला बांसवाडा 2.श्री शरीफ खान पिता बहादुर खान उम्र 42 वर्ष निवासी इन्दिरा कालोनी केवलपुरा जिला बांसवाडा के विरूद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियॉं नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री अनन्त कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 407 पर अंकित है। (राहुल कोटोकी) उप महानिरीक्षक पुलिस-द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 587-90 दिनांक 27-04-2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है:-1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर। 2-उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर। 3-महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।4 - अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बांसवाडा । उप महानिरीक्षक पुलिस-द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** ANANT KUMAR **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Rahul Katakey
Location: Rajasthan,IN
Date: 27/04/2025 15:

15. **Date and time of dispatch to the court**
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): RAHUL KATAKEY

Rank (पद): Dy. IG (Deputy Inspector General)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	19/08/1978				
2	Male	1983				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)